

# कार्यकारी सार

## प्रस्तावना

ऊर्जा को आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में सर्वत्र मान्यता प्राप्त है। किसी देश के विकास और समृद्धि के लिए सस्ती और भरोसेमंद बिजली का उपलब्ध होना अनिवार्य है। भारत ने अपने विद्युत ढांचे की वृद्धि के प्रति महत्वपूर्ण प्रगति की है। तथापि, विद्युत सृजन की क्षमता वृद्धि, बढ़ती हुई जनसंख्या, फैलती हुई अर्थव्यवस्था तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार की मंशा के कारण विद्युत की तेज़ी से बढ़ती हुई मांग के अनुरूप नहीं थी।

राष्ट्रीय बिजली नीति, 2005 से वर्ष 2012 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य की परिकल्पना की गई थी और इसलिए, विद्युत क्षेत्र ढांचे में क्षमता संवर्धन सरकार का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। ऊर्जा के स्रोतों में से एक, जल विद्युत, ऊर्जा का एक नवीकरणीय, आर्थिक, प्रदूषण-रहित तथा पर्यावरण की दृष्टि से एक सुसाध्य स्रोत है। जल विद्युत स्टेशनों की तात्कालिक स्टार्टिंग स्टॉपिंग व लोड अन्तर एक अन्तर्निष्ठ क्षमता है और ये विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता में सुधार लाने में सहायता करते हैं। सृजन की लागत न केवल कम और स्फीति -मुक्त है बल्कि यह समय के साथ-साथ घटती रहती है। इसलिए जल विद्युत अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने 60 प्रतिशत लोड घटक पर देश की 84,044 मे.वा. जल विद्युत का आकलन किया (1987)।

(पैरा 1.1 तथा 1.2 )

## हमारी लेखापरीक्षा में क्या शामिल किया गया है?

जल विद्युत का सृजन केन्द्रीय तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा किया जाता है। जल विद्युत के क्षेत्र में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) में मुख्यतः एनएचपीसी लिमिटेड, उसकी जेवी कम्पनी\* सहित एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएनएल), टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड (टीएचडीसी) तथा पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (नीपको) शामिल हैं। इस प्रतिवेदन में एनएचपीसी, एसजेवीएनएल, टीएचडीसी तथा नीपको द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं की शुरुआत से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रियाओं की जांच की गई है जिसका लक्ष्य ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान 11,813 मे.वा. की क्षमता जोड़ना है। मार्च 2012 तक पूरा होने की अपेक्षा वाली सभी 16 परियोजनाएं, जो कार्यान्वयन हेतु इन सीपीएसईज़ द्वारा शुरू की गई थीं, इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल की गई हैं। तथापि, ठेका देने वाले क्रियाकलापों की जांच के लिए कुल 53 ठेकों से इन चार सीपीएसईज़ में से 24 ठेकों का एक प्रतिनिधि नमूना लिया गया था।

(पैरा 1.4, 2.1 तथा 2.5)

\* एनएचडीसी (लिमिटेड)

## हमारे प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

निष्पादन लेखापरीक्षा से योजना की अवस्था से ठेका देने तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन तक से संबद्ध प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण अन्तरालों/कमियों का पता चला। लेखापरीक्षा ने देखा कि बेहतर योजना, समन्वय, पर्याप्त सर्वेक्षण, जांच, समन्वय तथा मॉनीटरिंग के द्वारा सीपीएसईज़ लक्ष्यों के निकटतर क्षमता संवर्धन प्राप्त कर सकते थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे संक्षेप में की गई है:

### (i) क्षमता संवर्धन के लक्ष्य प्राप्त करने में चूक होना

सभी चारों सीपीएसईज़ ने पर्याप्त सावधानी के बिना ही अपनी 11,813 मे.वा. जल विद्युत की क्षमता संवर्धन योजनाएं बनाई तथा वर्तमान संरचनात्मक ढांचे के अन्दर सभी पणधारियों के साथ रूपरेखा का सामञ्जस्य बैठाने में विफल रही। परिणामतः योजनाएं 11,813 मे.वा. से घटा कर 6,794 मे.वा. करनी पड़ी। घटाए गए लक्ष्य भी, जो, मूल लक्ष्यों से लगभग 42 प्रतिशत कम थे, प्राप्त नहीं किए जा सके। सीपीएसईज़ मार्च 2012 तक केवल 1,550 मे.वा. (अर्थात् मूल लक्ष्यों का 13 प्रतिशत तथा संशोधित लक्ष्यों का 23 प्रतिशत) ही क्षमता परिवर्धन प्राप्त कर सकीं।

इसके अतिरिक्त, इन सीपीएसईज़ की जल विद्युत नीति 2008 में परिकल्पित 33 परियोजनाओं में 14,535 मे.वा. की तुलना में XIIवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में 12 परियोजनाओं में केवल 3,774 मे.वा. क्षमता जोड़ने की संभावना है।

(पैरा 1.6, 3.3 तथा 3.4)

### (ii) परियोजना नियोजन तथा शुरुआती क्रियाकलापों में विलम्ब

परियोजना नियोजन एवं कार्यान्वयन की समस्त प्रक्रिया में असाधारण विलम्ब हुआ था। एनएचपीसी, एसजेवीएनएल तथा टीएचडीसी ने 14 परियोजनाओं<sup>1</sup> में से केवल दो में ही विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा नियत 30 महीने के बैंचमार्क के अन्दर निवेश-पूर्व क्रियाकलाप पूरे किए। जबकि पांच परियोजनाओं में इन क्रियाकलापों को पूरा करने में छः महीने का मामूली विलम्ब हुआ था, शेष सात परियोजनाओं में 50 महीने तक का विलम्ब था।

(पैरा 3.5)

### (iii) निजी विकासकों को परियोजनाओं का आबंटन

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) से विशिष्ट निर्देशों (अगस्त 1999) के बावजूद, एमओपी ने अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र घाटी में सिआंग और सुबंसिरि बहुविध परियोजनाओं (छः) के सर्वेक्षण, जांच और कार्यान्वयन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नहीं बनाए। इसके बजाए, भारत सरकार ने एनएचपीसी को छः परियोजनाएं (20,700 मे.वा.) आबंटित की (मई 2000) जिनमें से एनएचपीसी द्वारा केवल एक परियोजना अर्थात् सुबंसिरि लोअर (2,000 मे.वा.) ही कार्यान्वित की जा रही है। बाद में अरुणाचल प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने इनमें से चार परियोजनाएं निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को

<sup>1</sup> इनमें नीपको की दो परियोजनाएं शामिल नहीं हैं क्योंकि योजना क्रियाकलाप इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं थे।

आबंटित की (फरवरी 2006, अगस्त 2009 तथा मार्च 2010)। शेष एक परियोजना पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाने के लिए जीओएपी द्वारा एनटीपीसी को आबंटित की गई थी (फरवरी 2009)। एसपीवी से एनएचपीसी तथा उसके बाद निजी विकासकों की ओर जाने के निर्णय से केवल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ। मई 2000 में मूल रूप से एनएचपीसी को आबंटित परियोजनाएं 12 वर्ष से अधिक का समय (परियोजना की संकल्पना की तिथि से उसके चालू होने तक 10 वर्ष के बेंचमार्क की तुलना में) बीत जाने के बाद भी अभी तक (मार्च 2012) चालू नहीं की गई है। निजी विकासक/संयुक्त उद्यम अभी भी विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अतः निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को आबंटित की गई चार परियोजनाओं के डीपीआर के अनुसार प्रति वर्ष 6,600 मे.वा. बिजली के सृजन का अनुमानित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

(पैरा 3.6)

#### (iv) सर्वेक्षण और जांच में अन्तराल/त्रुटियां

डीपीआर बनाने से पूर्व उन्नत वैज्ञानिक आधार पर सम्भावित जल स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और जांच पर बल देने वाली भारत सरकार की जल विद्युत विकास नीति (1998) के बावजूद, एनएचपीसी तथा एसजेवीएनएल ने परियोजना सर्वेक्षणों और जांच के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 2006 तक, एनएचपीसी के पास सर्वेक्षण तथा जांच के दौरान भेदित किए जाने वाले छिद्रों की संख्या के लिए कोई प्रतिमान नहीं थे। एनएचपीसी तथा एसजेवीएनएल के सामने परियोजनाओं के निष्पादन में कई "भूवैज्ञानिक आकस्मिकियां" (जैसे खुदाई के दौरान चट्टान की श्रेणियों में अन्तर) आईं जिनके कारण इन परियोजनाओं के समय और लागत पर प्रतिकूल प्रभावी प्रभाव पड़ा। जनवरी 2007 में प्रतिमान बनाने के बाद भी, एनएचपीसी ने विभिन्न आधारों पर इन प्रतिमानों का अनुसरण करने में कठिनाई व्यक्त की।

(पैरा 4.1.1 तथा 4.1.2)

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि पार्वती-II परियोजना (800 मे.वा.) में, एनएचपीसी ने विभिन्न प्राधिकरणों जैसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एमओपी तथा केन्द्रीय जल आयोग आदि द्वारा व्यक्त चिंताओं के बावजूद "सुरंग भेदन प्रौद्योगिकी" प्रणाली-एक सुरंग के भेदन की प्रणाली-अपनाई। सुरंग भेदन मशीन (टीबीएम) सुरंग में फंस गई तथा एनएचपीसी को टेकेदार के लगातार खराब निष्पादन के कारण ठेका रद्द करना पड़ा (मार्च 2012) जिसके कारण अनुमानतः ₹ 243.54 करोड़ की अधिक लागत आई और 99 महीने का अधिक समय लगा।

{पैरा 4.2 तथा 6.2(घ) }

एनएचपीसी की सुंबसिरि लोअर के मामले में तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् निवेश अनुमोदन के लिए 8 महीने का समय लिया गया था जबकि अन्य 12 परियोजनाओं<sup>2</sup> (टीएचडीसी<sup>3</sup> की कोटेश्वर परियोजना को छोड़कर) के संबंध में यह समय 10 और 29 महीने के बीच था।

<sup>2</sup> इसमें नीपको की दो परियोजनाएं शामिल नहीं हैं क्योंकि नियोजन क्रियाकलाप इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किए गए थे।

<sup>3</sup> टीईसी प्राप्त करने (अगस्त 1989) के पश्चात् टीएचडीसी की कोटेश्वर परियोजना के संबंध में 127 महीने का समय लिया गया था क्योंकि सचिव-समिति ने इस परियोजना को टिहरी स्टेज-1 परियोजना शुरू करने के बाद ही शुरू करने का निर्णय लिया।

ग्यारहवीं योजना (2007-12) के लिए विद्युत पर कार्यशील ग्रुप ने नदी जल परियोजनाओं को चलाने के लिए ₹ 4.50 करोड़ प्रति मे.वा. की निर्माण लागत की परिकल्पना की (फरवरी 2007)। जुलाई 1998 तथा जनवरी 2007 के बीच सीसीईए द्वारा अनुमोदित 12 में से नौ चलाई जाने वाली नदी जल परियोजनाओं<sup>4</sup> के निर्माण की अनुमोदित प्रति मे.वा. लागत कार्यशील ग्रुप द्वारा परिकल्पित ₹ 4.50 करोड़ प्रति मे.वा. की तुलना में ₹ 4.90 करोड़ तथा ₹14.12 करोड़ के बीच थी। तथापि, उपर्युक्त 12 में से 11 परियोजनाओं के निर्माण की अनुमानित लागत अनुमोदित लागत से बहुत अधिक है और यह अनुमोदित लागत के 18 से 112 प्रतिशत के बीच थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त 12 परियोजनाओं की प्रति मे.वा. अनुमानित लागत कार्यशील ग्रुप द्वारा परिकल्पित ₹ 4.50 करोड़ प्रति मे.वा. की तुलना में ₹ 4.97 करोड़ से ₹ 20.80 करोड़ के बीच थी।

(पैरा 4.3.1)

#### (v) ठेके देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव

जुलाई, 2004 तक एनएचपीसी में अर्हता पूर्व मानदण्ड के नियतन हेतु कोई दिशानिर्देश नहीं थे, परन्तु बहुविषयक समिति द्वारा पीक्यू मानदण्ड के नियतन की प्रथा का ही अनुसरण किया जा रहा था। लेखापरीक्षा इस बात की सराहना करता है कि कुल 16 ठेकों (13 ठेके 2004 जुलाई से पहले और तीन ठेके दिशानिर्देश जारी करने के पश्चात् )में से, यह प्रथा 13 ठेकों में अपनाई गई थी।

{पैरा 5.2(क) }

लेखापरीक्षा में जांच किए गए 16 में से पांच ठेकों में, एनएचपीसी ने निविदा दस्तावेजों की ब्रिकी बन्द होने के पश्चात् पीक्यू मानदण्ड में छूट प्रदान की।

(पैरा 5.2(ख))

एनआईटी के प्रकाशन से काम देने का पत्र जारी होने तक निविदाकरण क्रियाकलाप पूरे करने के लिए तय 9.5 महीने के लक्ष्य की तुलना में, एनएचपीसी ने लेखापरीक्षा में समीक्षित 16 में से 15 ठेकों में 14 से 28 महीने लिए। एसजेवीएनएल ने लेखापरीक्षा में जांच हेतु चुने गए तीन ठेकों में 21 से 28 महीने लिए जबकि टीएचडीसी ने लेखापरीक्षा में जांच किए गए तीन ठेकों में 39 से 80 महीने लिए।

(पैरा 5.4.1)

#### (vi) परियोजनाओं के निष्पादन में अपर्याप्तताएं

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण ने विचार किया कि बड़े आकार की जल परियोजना में योजना बनाने से उसके चालू होने तक लगभग 10 वर्ष लगते हैं जबकि एनएचपीसी ने 6.5 वर्ष से 9.5 वर्ष की समय सीमा की निर्धारित की है। इसकी तुलना में अभी तक पूरी की गई दो परियोजनाएं (ओंकारेश्वर और सेवा-II) उपर्युक्त समय सीमा के अन्दर कार्यान्वित की गई थी। दो परियोजनाएं एनएचपीसी की "तिस्ता-V" और टीएचडीसी की "कोटेश्वर" क्रमशः 11 और 13 साल में पूरी हुई। 9 चल रही परियोजनाएं 11 से 19 सालों के बीच में क्रियान्वित होने की संभावना है; एसजेवीएनएल की रामपुर परियोजना नौ सालों में

<sup>4</sup> टीएचडीसी की कोटेश्वर परियोजना तथा एनएचपीसी की ओंकारेश्वर परियोजना (मध्य प्रदेश सरकार के साथ जेवी) स्टोरेज टाईप हैं।

पूरी होने की संभावना है तथा नीपकों के दो परियोजनाओं के अभिसरण से संबंधित डॉटा उपलब्ध नहीं था।

(पैरा 6.1)

चार सीपीएसईज़ द्वारा 16 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप उनकी ₹ 30,005 करोड़ की प्रारम्भिक अनुमोदित लागत बढ़ कर ₹ 44,712 करोड़ हो गई। सात पूरी की गई/चालू परियोजनाओं में, अधिक लागत 53 से 148 प्रतिशत के बीच थी।

परियोजना कार्यान्वयन में विलम्ब के मुख्य कारण भूवैज्ञानिक आकस्मिकियाँ थीं। अन्य नियंत्रणीय कारणों जैसे ठेकेदारों को आगमन सड़कें सौंपने में विलम्ब, भूमि की आवश्यकता का गलत निर्धारण, निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब, मात्रा के बिल के गलत निर्धारण के कारण कार्य के क्षेत्र में वृद्धि आदि की वजह से भी परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

जल विद्युत विकास नीति (1998) में परिकल्पित विस्तृत सर्वेक्षण और जांच से भूवैज्ञानिक परिवर्तनों को कम किया जा सकता था। अन्य कारणों जैसे आगमन सड़कें सौंपने में विलम्ब, निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब आदि को सीपीएसईज़ द्वारा समुचित समन्वय और मॉनीटरिंग द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था।

(पैरा 6.1)

एनएचपीसी ने मै. एचजेवी (मायतास इंफ्रा लिमिटेड द्वारा चालित) को पीक्यू मानदण्ड के निर्धारण; निविदा प्रमाणपत्रों की बिक्री बन्द हो जाने के बाद भी पीक्यू मानदण्ड की छूट देकर उसे अनुचित लाभ प्रदान किया और काम भी मै. एचजेवी को दिया हांलाकि वह पीक्यू मानदण्ड को पूरा नहीं करती थी। एनएचपीसी ने उसे अनुबंध के प्रावधानों से अधिक ₹131.65 करोड़ का अग्रिम दिया। कार्य के क्रियान्वयन की देखरेख में लापरवाही थी और कार्य की गति भी बहुत धीमी थी। लेखापरीक्षा में इसे बताया जाने पर एनएचपीसी को अनुबंध, कार्य की निरन्तर धीमी गति के कारण रद्द करना पड़ा (मार्च 2012) और उसने अपने पास उपलब्ध बैंक गारंटी भी भुना ली। इसके परिणामस्वरूप ₹182.48 करोड़ अवरुद्ध हो गए जिनकी वसूली की उम्मीद बहुत कम थी, ₹ 243.54 करोड़ का अनुमानित अतिरिक्त व्यय हुआ और परियोजना के कार्यान्वयन में 99 महीनों का अधिक समय लगा।

{ पैरा 5.2 (क) से 5.2 (घ) तथा 6.2(घ) }

मै.एचजेवी द्वारा लगाई गई टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) कीचड़ तथा ढीले पत्थरों के कारण सुरंग में अटक गई। एमओपी द्वारा परामर्श हेतु भूतपूर्व सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति की सिफारिशों पर, एनएचपीसी ने मै एचजेवी को अपने बकाया उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु (अप्रैल 2008) में ₹ 72 करोड़ का अग्रिम दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि समिति का अध्यक्ष मै. एचजेवी के एक जेवी भागीदार के निदेशक-मंडल का सदस्य भी था और इसीलिए उनकी दोनों जिम्मेदारियों में द्वंद्व का स्पष्ट प्रभाव था।

{ पैरा 6.2 (ङ) }

एनएचपीसी चमेरा-III और उरी-II परियोजनाओं से संबंधित जल यांत्रिकी कार्यों की योजना की समय सीमा को कम करने के लिए एक ठेकेदार (मै. ओम मैटल्स-एसपीएमएलजेवी) को मुआवजा देने के लिए सहमत हो गई और ठेकेदार को ₹13.60 करोड़ की राशि दी। इन कार्यों की योजना की समय सीमा कम करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि सिविल निर्माण कार्य पहले ही समय से पीछे चल रहे थे।

{ पैरा 6.2 (ख) }

चूंकि कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी, अतः टीएचडीसी ने मै. पीसीएल इंटरटेक लेनहाइड्रो (पीसीएल) द्वारा दिए गए क्रयादेशों के प्रति विनिर्माताओं/आपूर्तिकारों को सीधे भुगतान करके कार्य करवाने के लिए एक उच्च स्तरीय "अधिकार प्राप्त समिति" का गठन किया (मार्च 2007)। 31 मार्च 2012 तक, ठेकेदार (पीसीएल) से उसके जोखिम और लागत पर किए गए भुगतान पर उससे ₹190.42 करोड़ का अग्रिम वसूली योग्य था जिसकी तुलना में टीएचडीसी के पास केवल ₹ 56.28 करोड़ की निष्पादन गारंटी/नकदी उपलब्ध थी।

(पैरा 6.2 (छ))

नीपको अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही क्योंकि पैकेज-1 के तहत सुरंग कार्य के क्रियान्वन के दौरान ठेकेदार द्वारा लिया गया बीमा कवर त्रुटिपूर्ण था। नीपको ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि बाद में निष्पादित अतिरिक्त मदों का ठेकेदार द्वारा "एड ऑन कवर" अथवा एक नई पॉलिसी के माध्यम से बीमा करवाया गया था। परिणामस्वरूप नीपको ने जनवरी 2007 और दिसम्बर 2007 में हुई दो दुर्घटनाओं में ठेकेदार द्वारा काम के निष्पादन में अतिरिक्त मदों में हुई क्षति के कारण ₹19.88 करोड़ का नुकसान उठाया। नीपको यह राशि ना तो ठेकेदार से और ना ही बीमा कम्पनी से वसूल कर सकी।

{ पैरा 6.2(ज) }

### (vii) मॉनीटरिंग तंत्र और प्रभाव निर्धारण

यद्यपि इन सीपीएसईज़ में मॉनीटरिंग तन्त्र विद्यमान था, तथापि, उसका परियोजना के अवरोधों को हटाने में वांछित प्रभाव नहीं पड़ा। नियंत्रण-योग्य कारकों जैसे ठेकेदारों को आगमन सड़कें सौंपने तथा निर्माण आरेखण जारी करने में विलम्ब, मात्रा के बिलों का गलत निर्धारण, आदि का परियोजना विलम्ब को नियंत्रित करने के लिए समय रहते कोई समाधान नहीं किया गया था। एमओपी द्वारा मॉनीटरिंग से भी निष्पादन के निर्दिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने में कोई सहायता नहीं मिली।

(पैरा 7.1)

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण सीपीएसईज़ ने 26,282.97 एमयूज़ बिजली प्रति वर्ष (डीपीआर के अनुसार) के सृजन का अवसर खो दिया। इसके अतिरिक्त, सीईआरसी विनियम, 2009 के अन्तर्गत अनुमत लगभग ₹1474.57 करोड़ तक इक्विटी पर प्रतिफल भी सीपीएसईज़ द्वारा छोड़ दिया गया है।

(पैरा 7.2)

## हमारी सिफारिश क्या है?

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:

### विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

1. विद्युत मंत्रालय को भारत में जल विद्युत की संभावना के दोहान हेतु परियोजनाओं का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए डीपीआर की समय पर तैयारी, तथा परियोजनाओं के आबंटन और परियोजना की प्रगति की मॉनीटरिंग के लिए संबंधित राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरणों जैसे सीईए, एमओईएफ, एमओडब्ल्यूआर के साथ समन्वय करना चाहिए। आवश्यक अनुमोदनों की प्रक्रिया को मॉनीटर करने और उसे तेज करने के लिए अन्य नोडल मंत्रालयों/राज्य सरकारों से सदस्यों सहित सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति के एकल विंडो तन्त्र के रूप में गठन की वांछनीयता की जांच की जानी चाहिए।
2. भारत सरकार की 1998 तथा 2008 की जल नीतियाँ राज्य सरकारों को एमओयू मार्ग के द्वारा केवल 100 मे.वा. तक की जल परियोजनाओं के लिए विकासक चुनने तथा निजी क्षेत्रों को सम्भावित स्थल सौंपने के लिए पारदर्शी पद्धति का अनुसरण करने की अनुमति देती है। अतः एमओपी को अपनी निरीक्षण भूमिका के माध्यम से राज्य सरकारों पर उन्हें विकासकों को 100 मे.वा. से ऊपर की जल विद्युत परियोजनाएं निष्पक्ष, पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी ढंग से आबंटित करने का ज़ोर देना चाहिए।

### एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड, नीपको और टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड

3. सीपीएसईज़ को सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना के नियोजन के दौरान होने वाली भूवैज्ञानिक आकस्मिकियों तथा उनके परिणामस्वरूप कार्य की मात्रा में वृद्धि, डिज़ाइन में परिवर्तन तथा अधिक समय/लागत के जोखिम को कम करने के लिए डीपीआर बनाने से पूर्व ही पर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच कर ली गई है।
4. सीपीएसईज़ को कुछ बोलीदाताओं के अन्य की तुलना में अनुचित लाभ उठाने की सम्भावना को खत्म करने के लिए ठेका प्रबंधन, बोली लगाने और पीक्यू मानदण्ड के लिए स्थापित सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने का प्रयास करना चाहिए।
5. सीपीएसईज़ को भारत सरकार जल नीति के अनुरूप अपनी दीर्घावधि योजना बनानी चाहिए और अपनी तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए क्योंकि एक जल परियोजना की संकल्पना से उसे शुरू करने तक में 10 साल तक का समय लगता है।
6. सीपीएसईज़ को बोलीदाताओं द्वारा संविदात्मक शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली और मॉनीटरिंग तन्त्र को कारगर बनाना चाहिए।

